सांसदों और विधायकों के साथ किया जाने वाला व्यवहार

2516. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने अधिकारियों और राज्य-सरकारों के अधिकारियों के लिए समय-समय पर इस आशय के निदेश जारी करती रही है कि जब सांसद और विधायक उनसे मिलने आएं, तो उन्हें उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी इस आचार-संहिता का पालन नहीं करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) तथा (ख). जहां तक संसद सदस्यों तथा विधायकों के साथ केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा व्यवहार का संबंध है उनके अनुपालन के लिए निम्नलिखित मुख्य मार्ग-निर्देशन निर्धारित किए गए हैं :-

(1) सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों तथा विधायकों के साथ अपने व्यवहार में सही तथा शिष्ट होना चाहिए। यहां तक कि जब कोई संसद सदस्य अथवा विधायक बिना किसी पूर्व निर्धारित समय के भी किसी सरकारी कर्मचारी से मिलने आए तो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वह पूर्व नियुक्ति द्वारा आए आगन्तुक से मिलने के तुरन्त बाद संसद सदस्य अथवा विधायक से मिले।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वे संसद सदस्यों तथा विधायकों की संविधान के अधीन, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में यथासंभव सहायता करें। तथापि, ऐसे मामलों में, जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी संसद सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हो, वहां उसे संसद सदस्य को शिष्टता पूर्वक वे कारण स्पष्ट कर देने चाहिए जिनके कारण वह उनके अनुरोध या राय को नहीं मान सका।

यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे अपने अधिकारियों के संबंध में भी इसी प्रकार के मार्ग निर्देशन निर्धारित करें।

(ग) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Organisations Receiving Fund From Foreign Countries.

2517. PROF. K.K. TEWARI :

SHRI BHIKU RAM JAIN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the following organisations have been and are receiving funds from foreign countries viz (i) Sevagram Ashram Pratisthan, Sevagram, Wardha, (ii) Mahatma Gandhi Seva Ashram Joara, Morena, (Madhya Pradesh);

(b) if so, how much money has been received by each of these institutions; and

(c) whether the leading members of these institutions are also office bearers of Gandhi Peace Foundation and Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD)?